फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

[illegible] बनाम श्रीमती भोली देवी वगै०

मुकदमा नम्बर :– 73/2021

वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/6/24	प.का. उप। अभिभाषक वादी ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते एवं अभिभाषक प्रतिवादी भी कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है अतः साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी का हक स्वर बन्द किया जाता है इसी दौरान अभिभाषक उभयपक्षगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि मनभरी देवी पत्नी स्व. सुरजा के वादीगण एवं प्रतिवादीगण विधिक वारिस होने से वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आंशिक डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर उप नम्बर से कम हो तथा शामिल दफ्तर हो। [illegible] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 सुरजा, उम्र 42 वर्ष करीब
2. जगदीश पुत्र स्व0 सुरजा, उम्र 33 वर्ष करीब
3. मोहनलाल पुत्र स्व0 सुरजा, उम्र 27 वर्ष करीब

समस्त जाति माली, निवासियान ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमती गोठी देवी पुत्री स्व0 सुरजा पत्नी बाबूलाल, उम्र 35 वर्ष करीब, जाति माली, हाल निवासी काल्या का बास, हरमाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती सरोज देवी पुत्री स्व0 सुरजा पत्नी विनोद कुमार, उम्र 30 वर्ष करीब, जाति माली, हाल निवासी चौसेरा की ढ़ाणी, श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
3. मेवा देवी पुत्री स्व0 सुरजा, उम्र 23 वर्ष करीब, जाति माली, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 टि0 एक्ट

मुकदमा नं0:–73 / 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kaur
Date: 2024.07.26 15:44:32 IST
Reason: SelfAttested

ये मुकदमा आज वास्ते ... वादीगण एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू रतन कौर ... मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की माता स्व0 मनभरी देवी पत्नि सुरजा जाति माली सा0देह खातेदार के नाम हाल आराजी खाता सं0 304 के हाल आराजी खसरा नं0 2614 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 2616 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 2617 रकबा 2.23 है0, खसरा नं0 2619/2 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2629 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 2630 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2631 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 2632 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2636 रकबा 0.63 है0, कुल किता 9 का कुल रकबा 5.22 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हिस्सा 1/7 की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 13.06.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.....
सहायक कलक्टर
ओहदा.....(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	3 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	4	जोड़	2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :—रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—73 / 2021

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 सुरजा, उम्र 42 वर्ष करीब
2. जगदीश पुत्र स्व0 सुरजा, उम्र 33 वर्ष करीब
3. मोहनलाल पुत्र स्व0 सुरजा, उम्र 27 वर्ष करीब

समस्त जाति माली, निवासियान ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमती गोठी देवी पुत्री स्व0 सुरजा पत्नी बाबूलाल, उम्र 35 वर्ष करीब, जाति माली, हाल निवासी काल्या का बास, हरमाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती सरोज देवी पुत्री स्व0 सुरजा पत्नी विनोद कुमार, उम्र 30 वर्ष करीब, जाति माली, हाल निवासी चौसेरा की ढ़ाणी, श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
3. मेवा देवी पुत्री स्व0 सुरजा, उम्र 23 वर्ष करीब, जाति माली, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 टि0 एक्ट

निर्णय

दिनांक :—13.06.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:32 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा वाद पत्र इस आशय क[illegible]या गया है कि वादीगण वाके ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर [illegible] है। वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खाता सं0 304 के हाल आराजी खसरा नं0 2614 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 2616 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 2617 रकबा 2.23 है0, खसरा नं0 2619 / 2 रकबा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Scanned with OKEN Scanner

0.04 है0, खसरा नं0 2629 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 2630 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2631 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 2632 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2636 रकबा 0.63 है0, कुल किता 9 का कुल रकबा 5.22 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 3/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का 3/7 हिस्सा शामलाती रुप से निहित चला आ रहा है। उक्त आराजियात ही वादपत्र में भूमि विवादग्रस्त है। भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की माताजी स्व0 श्रीमती मनभरी देवी पत्नी सुरजा का 1/7 हिस्स चला आ रहा है। उक्त भूमि पर माताजी के वृद्ध होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ही काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की माताजी स्व0 श्रीमती मनभरी देवी का देहान्त दिनांक 20.10.2021 को हो गया है। इनका देहान्त होने पर विवादित भूमि मय कुंआ व बिजला का उपयोग–उपभोग वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 लगातार निर्बाध रुप से करते चले आ रहे हैं। माताजी के देहान्त के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के नाम संयुक्त रुप से नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था परन्तु अभी तक नहीं भरा गया है। पटवारी हल्का को बार–बार निवेदन करने पर भी नामान्तकरण नहीं भरा गया तथा नामान्तकरण नहीं खोलने के बाबत कोई कारण वादीगण को नहीं बताया गया। पटवारी हल्का प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के नाम ही नामान्तकरण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 से मिलीभगत कर खोलने पर आमदा है। ऐसा करने का प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 व पटवारी हल्का को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 25.11.2021 को प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 मौके पर आई तथा आते ही भूमि की नापजोख करने लगी। जब वादीगण ने नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने कहा कि वे भूमि का बेचान कर रही हैं। जिस पर वादीगण ने भूमि में अपना हिस्सा निहित होने बाबत कहा एवं भूमि का विधिवत तकासमा करवाने बाबत कहा तो उक्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 उग्र हो गई तथा धमकी दी कि वे माताजी के हक हिस्से की भूमि का अपने अकेले के नाम पटवारी हल्का से मिलीभगत कर नामान्तकरण खुलवाकर भूमि को दीगरान को बेचान, हस्तानान्तरित करके रहेंगी तथा वादीगण को मौके से बेदखल करके रहेंगी। इसलिए वादीगण को उक्त वादपत्र पेश करना लाजमी आया।

वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत उद्घोषणा व तकसीम डिक्री किया जाकर भूमि विवादग्रस्त में वादीगण की माता स्व0 श्रीमती मनभरी देवी के 1/7 हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को संयुक्त रुप से हकदार काश्तकार घोषणा अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती फरमायी जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि भूमि विवादग्रस्त को प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 बेचान,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हस्तानान्तरित नहीं करें, ना ही अकेले अपने नाम से नामान्तकरण माता के हिस्से का खुलवायें, ना ही वादीगण के उपयोग–उपभोग मे बाधा कारित करने बाबत ना तो वादीगण को बेदखल करें, ना ही वादीगण के कब्जेकाश्त में रुकावट करें तथा प्रतिवादीगण सं0 4 उक्त आराजियात बाबत कोई विक्रय पत्र या विलेख पत्र तस्दीक नहीं करें तथा प्रतिवादीगण सं0 5 उक्त आराजी के रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें, ना ही अन्य से करवायें। प्रतिवादीगण भूमि विवादग्रस्त बाबत यथास्थित बनाये रखें।

प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 की ओर से जवाब दावा इस आशय का पेश किया गया है कि दिनांक 25.11.2021 को तथा अन्य किसी भी दिवस उक्तानुसार कोई धमकी नहीं दी गई तथा यदि वादीगण के साथ–साथ मिन प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 के हिस्से की घोषणा की जाकर भूमि का तकासमा किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 को कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं है। जिस हेतु मिन प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 तैयार एवं तत्पर हैं।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण की माता स्व0 श्रीमती मनभरी देवी के 1/7 हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को संयुक्त रुप से खातेदार काश्तकार की घोषणा अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जाकर भूमि का तकासमा किया जावे। जिस पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा पूर्व में भी अपने पिता स्व0 सूरजा के नाम खातेदारी भूमि की घोषणा न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं के द्वारा दिनांक 28.08.2001 में पारित निर्णय के अनुसार की गई है एवं मृतक स्व0 मनभरी देवी पत्नि स्व0 सुरजा जाति माली सा0देह खातेदार की मृत्यु के उपरान्त विधिक वारिसान वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 समान हिस्से अनुसार स्व0 मनभरी देवी के नाम खातेदारी भूमि में अधिकार रखते है तथा अपने नाम से खातेदारी घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है जिससे वादीगण का वाद आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की माता स्व0 मनभरी देवी पत्नि सुरजा जाति माली सा0देह खातेदार के नाम हाल आराजी खाता सं0 ... हाल आराजी खसरा नं0 2614 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 2616 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 2617 रकबा 2.23 है0, खसरा नं0 2619/2 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2629 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 2630 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2631 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 2632 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

0.02 है0, खसरा नं0 2636 रकबा 0.63 है0, कुल किता 9 का कुल रकबा 5.22 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हिस्सा 1/7 की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रैक/मु0)
चौमूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner